न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 30/2008 G.C.M.S. No. 2008/00020 दर्ज दिनांक : 05.06.2008

अपीलार्थिगण:

1. किशनसिंह पुत्र श्री हरीसिंह
2. हरीसिंह पुत्र छतरसिंहजी, जाति राजपूत फौत के विधिक वारिसान–

2/1 अंतर कंवर बेवा हरीसिंहजी

2/2 पुष्पा राणावत पुत्री हरीसिंहजी पत्नी कानसिंह, जाति राजपूत, निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला पाली वर्तमान जिला ब्यावर।

2/3 महेन्द्रसिंह पुत्र श्री हरीसिंह

2/4 किशनसिंह पुत्र श्री हरीसिंह

2/5 प्रदीपसिंह पुत्र श्री हरीसिंह

2/6 दलपतसिंह पुत्र श्री हरीसिंह

तमाम जातिगण राजपूत, निवासी खिवाड़ा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. पोलाराम पुत्र श्री नत्थाजी
2. मंगराम पुत्र श्री नत्थाजी
3. हिमताराम पुत्र श्री नत्थाजी

जातिगण घांची, निवासीगण खिवाड़ा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सुमेरपुर पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार आर.ए.एस. के निर्णय डिक्री दिनांक 19.04.2008 राजस्व वाद संख्या 264/2002 वादीगण पोलाराम बनाम प्रतिवादीगण किशनसिंह वगैरह में पारित निर्णय डिक्री को निरस्त कराने।

उपस्थित–

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्टगण।
2. श्री रमेशचन्द्र जैन, श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण।

निर्णय

दिनांक: 18.10.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के राजस्व वाद संख्या 264/2002 बअनवान वादीगण पोलाराम बनाम प्रतिवादीगण किशनसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2008 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने यह कथन किया कि ग्राम खिमाड़ा तहसील सुमेरपुर जिला पाली के खसरा नंबर 283 रकबा 1.23 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 282 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल रकबा 1.24 हैक्टेयर की भूमि स्थित है। उक्त भूमि अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जाशुदा है। साथ ही उक्त भूमि पर मेरे (अपीलांट) भाई मूंछाराम, हिम्मताराम, पोलाराम व डूंगाराम का 1/4–1/4 हिस्सा है। किन्तु प्रकरण में डूंगाराम को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी के तौर पर पक्षकार बनाया गया। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा "असंयोजित पक्षकार के अभाव" के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्षेवा खारिज किया जाना था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एकतरफा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। उक्त मौका रिपोर्ट में स्वयं मौका कमिश्नर ने भी इस बात

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

को उल्लेखित किया कि मौके पर सीमांकन अर्थात आबादी भूमि व खसरा नंबर 283 के मध्य कोई स्थायी माठ नहीं हैं। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर बिना गौर किए विधिविरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का कोई समुचित अवसर नहीं दिया गया, साथ ही अपीलांट का जवाबदावा भी दिनांक 20.02.2005 को बंद कर दिया गया। इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण में अपीलांट के पक्ष में ग्राम पंचायत ने वर्ष 1972 में पट्टे जारी किए, तब से अपीलांट ने उक्त भूमि पर मकान बना रखा है एवं स्वयं रहवास कर रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों को खारिज कराने के लिए रेस्पोडेन्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर के समक्ष पंचायत निगरानी पेश की गई थीं, जो निगरानी संख्या 3/2001 एवं 4/2001 दर्ज की जाकर उक्त निगरानी दिनांक 22.04.2002 को खारिज की जा चुकी हैं एवं अपीलांट के पक्ष में जारी पट्टों को बहाल रखा गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को दरकिनार कर उक्त विधिविरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावें। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर जरिये सम्मन तलब किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर अपीलांट प्रतिवादीगण को रेस्पोडेन्ट्स वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 283 रकबा 1.23 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 282 रकबा 0.01 हैक्टेयर में वादीगण के कब्जेकाश्त में दखलअंदाजी नहीं करने हेतु चिरस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने की मांग की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवाद्यक विरचित किए जाकर दिनांक 19.04.2008 को विवाद्यकवार विवेचन एवं निर्णयन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया, जिसके विरूद्ध प्रतिवादी अपीलांट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई। अपीलांट्स द्वारा मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया तथा अपीलांट का जवाबदावा भी दिनांक 20.02.2005 को बंद कर एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित की गई, जो साक्ष्य व कानूनी वाक्यातों के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मौका रिपोर्ट एकतरफा मंगवाई, जिसमें मौका कमिश्नर ने यह उल्लेखित किया कि मौके पर सीमांकन नहीं हैं तथा आबादी भूमि व खसरा संख्या 283 के मध्य कोई माठ नहीं हैं। ऐसी स्थिति में पूरी भूमि पर कब्जा मानकर अपीलांट को पाबंद किया है। जो निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। डूंगाराम वादग्रस्त आराजी में 1/4 का हिस्सेदार है, जिसे पक्षकार नहीं बनाकर प्रतिवादी बनाया है। ऐसी सूरत में असंयोजन पक्षकार के अभाव में दावा खारिज किए जाने योग्य था। अपीलांट के पक्ष में ग्राम पंचायत ने वर्ष 1972 में पट्टे जारी किए तब से अपीलांट मकान बनाकर निवास कर रहा है, जिनके विरूद्ध रेस्पोंडेन्ट द्वारा अतिरिक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

जिला कलक्टर न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी संख्या 3/2001 व 4/2001 दिनांक 22.04.2002 को खारिज की जाकर अपीलांट के पट्टे बहाल रखे हैं। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए, इसके बावजूद जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 24.02.2005 को जवाबदावा बंद किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना अभिलेख पर उपलब्ध नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 23.11.2005 को शहादत वादी बंद की जाकर प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत की गई तथा लगभग 20 से अधिक अवसर देने के बावजूद शहादत प्रस्तुत नहीं करने के कारण दिनांक 07.11.2007 को प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई, जिसके विरूद्ध प्रतिवादी अपीलांट द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना अभिलेख पर उपलब्ध नहीं हैं। अतः अपीलांट का यह कथन कि उसे अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, स्वीकार योग्य नहीं हैं, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता।

3. वादग्रस्त आराजी की ग्राम खिमाड़ा की जमाबंदी से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में पोलाराम, मनसाराम, हिमताराम व डूंगाराम सहखातेदार है तथा उक्त चारों सहखातेदारान की ओर से प्रतिवादी किशनसिंह व हरीसिंह के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया था। अतः अपीलांट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद असंयोजन के कारण खारिज योग्य था, पूर्णतया आधारहीन कथन है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता।

4. अपीलाधीन निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि पर आवासीय पट्टे जारी किए गए, ग्राम पंचायत को आबादी भूमि से बाहर निजी खातेदारी भूमि पर पट्टे जारी करने का कोई अधिकार नहीं होता है, तथा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के पास ही रेस्पोडेन्ट्स की वादग्रस्त आराजी स्थित है। वादीगण रेस्पोडेन्ट्स द्वारा स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि पर अपीलांट प्रतिवादीगण द्वारा दखल किए जाने से रोकने के लिए शाश्वत निषेधाज्ञा बाबत वाद प्रस्तुत किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा वादग्रस्त आराजी एवं इसके पास स्थित आबादी भूमि व अन्य खसरान के राजस्व नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि आबादी भूमि का खसरा एवं वादग्रस्त रेस्पोडेन्ट्स की कृषि भूमि के खसरा संख्या 282 व 283 की भूमि भूप्रबंध से ही पृथक-पृथक तरमीमशुदा है। अतः दोनों के मध्य परस्पर सीमा अस्पष्ट होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध वादी साक्ष्य प्रदर्श पी2- नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रकरण में मौका कमिश्नर के रूप में प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 08.06.2001 में स्पष्ट अंकित है कि श्री किशनसिंह ने जिस जगह अपना प्लॉट बताया, वह भूमि खसरा संख्या 283 की हैं एवं इस खसरे पर श्री पोलाराम का वर्तमान में कब्जाकाश्त है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा भी अपीलाधीन निर्णय में अन्य साक्ष्य के साथ-साथ उक्त साक्ष्य का भी अंकन एवं विवेचन किया है। जोकि प्रकरण में एक

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णायक साक्ष्य है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य विवादित स्थल जिसे अपीलांट अपनी पट्टेशुदा आबादी भूमि बताता है, तथा रेस्पोडेन्ट इसे स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि बताता है। मौका कमिश्नर की रिपोर्ट से यह सुस्पष्ट है कि उक्त विवादित स्थल खसरा संख्या 283 की रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी कृषि भूमि का भाग है।

6. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अंतर्गत प्रत्येक अभिलिखित खातेदार अपनी खातेदारी आराजी में किसी के द्वारा किए जा रहे अनाधिकृत हस्तक्षेप या ऐसे हस्तक्षेप की आशंका पर शाश्वत निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है।

7. अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का दोष या प्रक्रियागत लोप दृष्टिगोचर या साबित नहीं होता है। अतः अधीनस्थ विचारण न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से हमारा विनम्र मत है कि उभयपक्ष के मध्य मुख्यतया खसरा संख्या 282 व 283 की रेस्पोडेन्ट की खातेदारी कृषि भूमि एवं इससे लगती ग्राम पंचायत की आबादी भूमि जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट के पक्ष में आवासीय पट्टे जारी किए हैं, कि भूमि के मध्य सीमा को लेकर ही विवाद है। जिसका समाधान उभयपक्ष द्वारा संबंधित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक से सीमाज्ञान करवाकर करवा सकते हैं।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट भली–भांति साबित नहीं होने एवं अपील में बल नहीं होने के कारण अपील खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रेस्पोडेन्ट बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने के कारण खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 264/2002 बअनवान वादीगण पोलाराम बनाम प्रतिवादीगण किशनसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2008 को यथावत रखते हुए पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दपतर हों।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
(डॉ0 पुष्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner